an>

Title:Regarding police atrocities on agitators.

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के अत्याचारों की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 14 अक्टूबर को पंजाब के फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के कोटकपूरा के पास बहबलकलां गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के विरुद्ध शांति से रोÂा व्यक्त कर रही संगत पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस घटना में दो लोगों की जान चली गई। जनता के प्रैशर के बाद एफआईआर करने में आनाकानी कर रही सरकार ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन अन-आईडेंटीफाई पुलिस मैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

उपाध्यक्ष जी, यह सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि क्या पुलिस भी कभी अज्ञात होती है। अज्ञात भीड़ के बारे में तो सुना था लेकिन क्या पुलिस भी कभी अज्ञात हो सकती है? वहां संगत अपना रोÂा व्यक्त कर रही थी और लंगर खा रही थी। पुलिस वाले भी वहां लंगर खा रहे थे। पुलिस को चलाई गई हर गोली का हिसाब देना पड़ता है और वहां साढ़े तीन सौ से अधिक गोलियां चलाई गई। अगर पुलिस वाले अज्ञात हैं तो वे गोलियां किसने चलाई हैं? पुलिस वालों को गोली चलाने का आर्डर किसने दिया, क्या वह भी कोई अज्ञात अधिकारी था? यह हैरानी की बात है और सरकार दोÂि◌ायों को बचाना चाहती है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि पंजाब सरकार को आदेश दें कि जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं और जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है, उनके नाम पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ताकि दोÂि◌ायों को सजा मिले और पीड़ितों को इंसाफ मिले।